भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

(सतर्कता अनुभाग)

डाकघर - केट,

इंदौर-452013

संदर्भ संख्या-14/5/2020-GAC/Vig./

दिनांक 23/05/2021

विषय : <u>एमएसीसीसी, इंदौर में क्वारंटाइन सुविधा के संबंध में</u>.

कोविड-19 के मरीजों के लिए माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर, इंदौर में क्वारंटाइन एवं आगे के उपचार के लिए एडमिशन हेतु उप-खण्ड दण्डाधिकारी / संबंधित जिला प्राधिकारी से समन्वय करने हेतु श्री संजय चौकसी के नेतृत्व में बनाई गई नोडल अधिकारियों की टीम-1 के गठन के संबंध में दिनांक 25/04/2021 के समसंख्यक पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है.

2. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इंदौर तथा उप-खण्ड दण्डाधिकारी, राजेंद्रनगर (राऊ) ने विगत दिनांक 23/05/2021 को आरआरकेट, इंदौर का दौरा किया और आरआरकेट कालोनी में कोरोना पॉजिटिव मामलों की बढ़ती हुई संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने निर्देश दिया कि कालोनी में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आरआरकेट कालोनी के सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों (माइल्ड लक्षण एवं स्पर्शोन्मुखी) को प्रभारी, आरआरकेट केंद्र की संस्तुति पर आवश्यक रूप से क्वारंटाइन एवं आगे के उपचार के लिए माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर, खंडवा रोड, इंदौर में स्थानांतरित किया जाए.

3. आरआरकेट कालोनी में रहने वाले कर्मचारी एवं उनके परिवारजन कृपया कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इंदौर द्वारा जारी किए गए निदेशों को नोट करें तथा सही भावना से उसका पालन करें ताकि कालोनी में संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके. वे कृपया यह भी नोट करें कि उपर्युक्त निर्देशों का पालन न करने और मरीजों को क्वारंटाइन एवं आगे के उपचार के लिए एमएसीसीसी में स्थानांतरित करने में उप-खण्ड दण्डाधिकारी द्वारा नियुक्त त्वरित प्रतिक्रिया दल से सहयोग न करने पर संबंधित निवासी, राज्य सरकार/जिला प्राधिकारियों द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में समय-समय पर अधिसूचित किए अनुसार भारतीय पीनल कोड की धारा-188 के अंतर्गत अभियोग के लिए दायी होंगे.

4. इस संबंध में सभी के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है.

(एस.एस. गोंडाणे) 24.5.21

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मेल-ऑल के माध्यम से सभी कर्मचारी

सूचनार्थ प्रति :

1. निदेशक, आरआरकेट
2. सभी वर्ग निदेशक, आरआरकेट
3. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट

4.	श्री संजय चौकसी, वैज्ञा.अधि./एच, नोडल अधिकारी (टीम-1), आरआरकेट	कृपया प्रभारी, आरएमसी द्वारा दी गई सूची के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सूचित करें तथा उन्हें एमएसीसीसी में उपलब्ध क्वारंटाइन एवं उपचार सुविधाओं और वहाँ उपचार करवा चुके मरीजों के अनुभव के संबंध में बताए. साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आरआरकेट कालोनी से एमएसीसीसी स्थानांतरित करने में त्वरित प्रतिक्रिया दल/उप-खण्ड दण्डाधिकारी से समन्वय करें.
5.	श्री राजू जॉन, वैज्ञा.अधि./एच, नोडल अधिकारी (टीम-2), आरआरकेट	
6.	जन-सम्पर्क अधिकारी, आरआरकेट	